**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3191**

**18 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए**

**वहनीय आवास साझेदारी**

**†3191. श्रीमती जून मालियाः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बढ़ी हुई निर्माण लागत को देखते हुए भागीदारी में वहनीय आवास (एएचपी) खंड के अंतर्गत प्रति आवासीय इकाई केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने का इरादा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार सिर्फ़ इसलिए केन्द्रीय सहायता नहीं बढ़ा रही है क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगेगा और यदि ऐसा है, तो इसका ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने निर्माण की बढ़ी हुई लागत पर कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हाँ, तो शहरी भूमिहीनों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के परिवारों पर इसके पड़ने वाले असर सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री तोखन साहू)**

**(क)** से (ग)**:** आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय **(**एमओएचयूए**)** दिनांक **25.06.2015** से प्रधान मंत्री आवास योजना**-**शहरी **(**पीएमएवाई**-**यू**)** का कार्यान्वयन कर रहा है**,** जिसका उद्देश्य देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करना है। वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए पीएमएवाई-यू योजना की कार्यान्वयन अवधि को दिनांक 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है**,** जो कि पहले 31.03.2022 तक थी।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त

पात्र लाभार्थियों को किफायती लागत पर आवास बनाने, खरीदने और किराए पर लेने में सहायता प्रदान करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 का कार्यान्वयन चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से किया जाता है।

पीएमएवाई-यू 2.0 का साझेदारी में किफायती आवास घटक दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है:

**मॉडल-1:** सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों एवं परास्टेटल संस्थाओं द्वारा आवासों का निर्माण।

**मॉडल-2:** निजी क्षेत्र की साझेदारी में किफायती आवास परियोजनाएँ – हाउसिंग वाउचर के माध्यम से श्वेतसूचीबद्ध (व्हाइटलिस्टेड) निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से खरीद द्वारा आवास का स्वामित्व।

पीएमएवाई-यू 2.0 के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित है कि वे निजी निवेश को आकर्षित करने और मेट्रो शहरों सहित देश में किफायती आवास स्टॉक को बढ़ाने हेतु अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए प्रमुख सुधारों को अपनाएं तथा 'किफायती आवास नीति' तैयार करें।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना के तहत आवासों की खरीद/निर्माण के लिए आवश्यक निधि केंद्र सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों और लाभार्थियों के बीच साझा की जाती है। पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत वित्तपोषण का उद्देश्य लाभार्थियों को प्रोत्साहन प्रदान करना और उन्हें अन्य स्रोतों से भी निधियों की व्यवस्था करके अपने आवास का निर्माण करने में सक्षम बनाना है। हालांकि, लाभार्थियों पर बोझ कम करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएमएवाई-यू 2.0 दिशानिर्देशों के अनुसार अपना बढ़ा हुआ हिस्सा प्रदान कर सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 के बीएलसी/एएचपी घटकों के तहत सरकारी सहायता 90:10 के अनुपात में तय की गई है। शेष संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्र और राज्य का साझेदारी अनुपात 100:0 है, जबकि अन्य राज्यों के लिए यह अनुपात 60:40 है। इस योजना के लिए केन्द्रीय सहायता को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आवासों की किफायत बढ़ाने के उद्देश्य से, पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का हिस्सा अनिवार्य है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के न्यूनतम हिस्से

के अलावा, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारें किफायत बढ़ाने के लिए अतिरिक्त टॉप-अप भी प्रदान कर सकती हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) के लिए कम आय वाले आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना (सीआरजीएफटीएलआईएच) का पुनर्गठन किया है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, एचएफसी आदि से लिए गए आवास ऋण पर गारंटी प्रदान करके पात्र परिवारों की ऋण पहुंच और पात्रता को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य ईडब्ल्यूएस/एलआईजी से संबंधित पीएमएवाई-यू 2.0 के पात्र लाभार्थियों को वित्तीय संस्थाओं से किफायती आवास ऋण के माध्यम से समय पर अपना आवास पूरा करने में मदद भी करना है, जिससे कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति में प्रत्यक्ष योगदान मिलता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अपेक्षित है कि वे त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से पीएमएवाई-यू 2.0 लाभार्थियों को आवास हेतु ऋण उपलब्ध कराने में सहायता करेंगे।